ट्रॉली खाली करने के एवज में मांगे 1 हजार, नहीं दिए तो दो घंटे कराया इंतजार

किसान ने लगाया आरोप, किसान सुपरवाईजर हुए आमने सामने

शाजापुर, 23 अप्रैल. बेरछा रोड स्थित सांपखेड़ा गांव के धन कन्या वेयरहाउस में संचालित गेहूं उपार्जन केंद्र पर गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, एक किसान ने आरोप लगाया कि उसकी गेहूं से भरी ट्राली खाली करने के लिए सर्वेयर ने 1 हजार रूपये की मांग की. पैसे न देने पर लगभग दो घंटे तक टाली खाली नहीं की गई, जिससे नाराज किसान ने मौके पर हंगामा कर दिया.

विवाद के चलते रूकी खरीदी

किसान अभिराज राजपूत ने बताया कि उनका स्लाट पहले अभयपुर में बुक था, लेकिन वेयरहाउस भर जाने के कारण उन्हें सांपखेड़ा केंद्र पर भेजा गया. यहां पहुंचने पर उनके गेहूं को पहले धूल मिट्टी बताकर लेने से मना कर दिया गया. इसके बाद एक कर्मचारी ने उनसे अलग ले जाकर एक हजार रूपये देने पर गेहूं पास कराने की बात कही. मना करने पर गेहूं अस्वीकृत करने की धमकी दी गई, जिससे विवाद बढ़ गया. मौके पर मौजूद सर्वेयर से जब नाम और जानकारी पूछी गई तो वह कैमरा बंद करने की बात कहता रहा और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. केंद्र पर गेहूं तौल में भी अनियमितता सामने आई. शासन के निर्देशानुसार प्रति बोरी 600 ग्राम अतिरिक्त गेहूं लिया जाना चाहिएए लेकिन यहां 650 ग्राम तक गेहूं लिया जा रहा था.

आरोप गलत हैं...

केंद्र के सुपरवाइजर वीरेन प्रजापति ने किसान के आरोपों को गलत बताया है. उनका कहना है कि सर्वेयर द्वारा किसी प्रकार की पैसों की मांग नहीं की गई. प्रजापति के अनुसार मौके पर गेहूं का परीक्षण किया गया, जिसमें मिट्टी पाई गई. किसान को गेहूं साफ करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया. सुपरवाइजर ने यह भी आरोप लगाया कि किसान शराब के नशे में केंद्र पर पहुंचा था. मामले की जानकारी मिलने पर जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी अंजू मरावी ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि एक टीम भेजकर मामले की जांच करवाई जाएगी. यदि पैसे मांगने की शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यहां भी मिली गंभीर अनियमित्ताएं, तत्काल जारी किए नोटिस....

मामले को लेकर उपायुक्त सहकारिता कार्यालय ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कांजा के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है . नोटिस के अनुसार केंद्र पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जा रहा था . 22 अप्रैल को हुए औचक निरीक्षण में कई गड़बड़ियां सामने आईं . निरीक्षण में पाया गया कि तौले गए बोरों पर लगे टैग में सीरियल नंबर और किसान कोड दर्ज नहीं थे . कई बोरों का वजन तय मापदंड के अनुसार नहीं था . इसके अलावा बोरों की सिलाई और छपाई भी ठीक नहीं पाई गई . इसके अलावा बारदान वितरण की व्यवस्था भी अस्त व्यस्त मिली . सबसे गंभीर बात यह रही कि सर्वेयर की मौजूदगी के बिना ही खरीदी की जा रही थी और खरीदी का पंजी भी संस्था स्तर पर सही तरीके से संधारित नहीं किया जा रहा था . जिसके चलते प्रबंधक को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं . नोटिस में चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी .

कांजा सोसाईटी में अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण

एक नजर में

शुजालपुर मण्डी डाकघर में 25 को आधार अपडेट अभियान

शुजालपुर, 23 अप्रैल . आम नागरिकों को आधार सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुजालपुर मंडी डाकघर में 25 अप्रैल शनिवार को विशेष आधार नामांकन एवं अपडेट अभियान आयोजित किया जाएगा . यह अभियान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं . वर्तमान समय में स्कूल व कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं जरूरी दस्तावेजों के लिए आधार में संशोधन की आवश्यकता बढ़ गई है . इसी को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं सहज रूप से मिल सकें . अभियान के दौरान नागरिक अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर सहित बायोमेट्रिक फोटो, फिंगरप्रिंट, आईरिस संबंधी जानकारी में संशोधन करवा सकेंगे . साथ ही नए आधार नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी . सभी सेवाएं भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार प्रदान की जाएंगी . डाकघर प्रशासन ने अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अतिरिक्त काउंटर, तकनीकी संसाधन एवं स्टाफ की व्यवस्था की है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को कम समय में सुविधा मिल सके . अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं और आवश्यक दस्तावेज साथ लाना न भूलें .

सीएम की घोषणा के बाद भाजपाईयों ने मनाई खुशी

शाजापुर, 23 अप्रैल . प्रदेश के मुखिया डॉ .मोहन यादव द्वारा भूमि अधिग्रहण के बदले चार गुना मुआवजा देने का फैसला लिया है . किसानों के हित मे लिए गए इस निर्णय पर गुरूवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई और आतिशबाजी की . शाजापुर विधायक अरुण भीमावद ने बताया कि मध्यप्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर बाजार दर से चार गुना मुआवजा देने का फैसला लिया है . मुख्यमंत्री डॉ .मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है . पहले जमीन अधिग्रहण पर किसानों को गाइडलाइन के अनुसार दोगुना मुआवजा मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर चार गुना कर दिया गया है . उन्होंने कहा कि सड़क, रेलवे और पुल जैसे विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित भूमि का अब किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा . राज्य सरकार के नए निर्णय के अनुसारए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर किसानों को बाजार दर का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा . वहीं शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की स्थिति में पहले की तरह बाजार दर का दोगुना मुआवजा ही प्रभावी रहेगा . सरकार का उद्देश्य इस फैसले के जरिए विकास कार्यों में तेजी लाना और किसानों को राहत पहुंचाना है .

राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की नवीन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश

शाजापुर, 23 अप्रैल . मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 आगामी 26 अप्रैल को ओएमआर पद्धति से सुबह 10 से 12 एवं दोपहर 2 .15 से 4 . 15 बजे तक दो सत्रों में प्रदेश के समस्त 54 संभाग, जिला मुख्यालयों के 365 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है . उक्त परीक्षा निर्विघ्न, सुव्यवस्थित एवं शुचिता पूर्ण सम्पन्न हो इसके लिए संभाग एवं जिला मुख्यालयों पर उक्त परीक्षा के लिए नवीन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गये हैं . जिसके अनुसार राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के दौरान त्रिस्तरीय नवीन जांच प्रक्रिया बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश पत्र की स्केनिंग, एचएचएमडी के माध्यम से तलाशी प्रारंभ की गई है . इसके अंतर्गत परीक्षार्थियों को विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना है .जिसमें परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों को अनिवार्यत : 90 मिनिट पूर्व पहुंचना होगा . परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की त्रिस्तरीय जांच की जाएगी . परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार के समीप अनुमत एवं वर्जित वस्तुओं की जानकारी चस्पा होगी, जिसका पूर्णत : पालन किया जाना होगा . परीक्षार्थियों की जांच में नियमों का पालन किया जाएगा . ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों के पास विकल्प होगा कि वह अपनी फ्रिस्किंग महिला अथवा पुरुष कर्मचारी से करवाना चाहते हैं . परीक्षार्थियों की दोनों सत्रों में त्रिस्तरीय जांच की जाएगी, तत्पश्चात परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा . परीक्षार्थी स्वयं के साथ केवल बॉलपेन एवं एक पानी की पारदर्शी बॉटल, ई प्रवेश पत्र व आईडी कार्ड साथ में ला सकते हैं .

हादसे में हाथ गंवाने वाली महिला को 29 .51 लाख मुआवजे के आदेश

शुजालपुर, 23 अप्रैल . सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर अपना हाथ गंवाने वाली महिला को मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने 29 लाख रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं . अधिकरण ने बीमा कंपनी को 29,51,462 रुपए के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के निर्देश भी दिए हैं . प्रकरण के अनुसार 29 फरवरी को दोपहर करीब 2 .30 बजे आवेदिका रेखा कुंभकार निवासी भोपाल हाल मुकाम रायकनपुरा शुजालपुर सिटी पीपुल्स हॉस्पिटल से ड्यूटी कर स्कूटी से घर लौट रही थीं . जैसे ही वह बेस्ट प्राइस तिराहे के पास पहुंचीं तभी भानपुर की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचजी 8793 के चालक जैद अली ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए पीछे से स्कूटी को टक्कर मार दी . टक्कर इतनी भीषण थी कि रेखा कुंभकार सड़क पर गिर गईं और ट्रक का पहिया उनके हाथ पर चढ़ गया . गंभीर चोट के कारण उनका हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे बाद में ऑपरेशन कर काटना पड़ा . घटना के बाद पीड़िता की ओर से अधिवक्ता महाजनसिंह परमार एवं राजपालसिंह राजपूत द्वारा मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण शुजालपुर में क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया . मामले की सुनवाई करते हुए सदस्य मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण शुजालपुर सपना पोर्ते ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए बीमा कंपनी को उक्त राशि भुगतान के आदेश पारित किए .

निबंध प्रतियोगिता आयोजित

शुजालपुर, 23 अप्रैल. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया, इस अवसर पर हमारी धरा, हमारी शक्ति विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पृथ्वी संरक्षण से जुड़े अपने विचार प्रस्तुत किए. इको क्लब प्रभारी डॉ. मुकेश सिंह मेवाड़ा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना है. उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना, जैव विविधता को संरक्षित करना और धरती को हरा-भरा व स्वच्छ बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. इससे वैश्विक तापमान में कमी लाने और मानव जीवन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी.

27 अप्रैल को खाद, बीज, कीटनाशक व्यापारियों का देशव्यापी बंद

समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकॉलीन हड़ताल की चेतावनी

शुजालपुर,23 अप्रैल. देशभर के खाद, बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर 27 अप्रैल को एक दिन के सांकेतिक बंद का ऐलान किया है. यह बंद ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर किया जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों के व्यापारी शामिल होंगे.

शुजालपुर, अकोदिया बीज एवं कीटनाशक विक्रेता संघ के अध्यक्ष सचिन शाह ने बताया कि व्यापारियों की समस्याओं को लंबे समय से राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य संगठन द्वारा 27 अप्रैल से अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया गया है, जिसके समर्थन में देशभर में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रमुख मांगों में उर्वरकों में डीलर मार्जिन को वर्तमान डेढ़ प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 8 प्रतिशत करना, रिटेलर के गोदाम तक एफओआर व्यवस्था लागू करना, खाद, बीज, कीटनाशक के सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनियों पर कार्रवाई करना तथा व्यापारी को गवाह के रूप में शामिल करना शामिल है. इसके अलावा साथी पोर्टल के माध्यम से लागू की जा रही बीज विक्रय योजना को केवल उत्पादक कंपनियों तक सीमित रखने, उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग बंद करने और ई टोकन प्रणाली को स्थगित करने की मांग भी की जा रही है. व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि एक माह के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो खरीफ सीजन से पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जा सकती है. बंद के दौरान प्रधानमंत्री के नाम तहसील, विकासखंड और जिला स्तर पर जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपे जाएंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह राजपूत एवं प्रदेश सचिव संजय रघुवंशी ने प्रदेश के सभी व्यापारियों से बंद में पूर्ण सहयोग करने की अपील की है.

निलंबित लाइसेंस बहाल किए जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

शाजापुर, 23 अप्रैल. कृषि आदान विक्रेता संघ शाजापुर द्वारा एक ज्ञापन उपसंचालक कृषि को सौंपा. अध्यक्ष परमानंद पाटीदार, सचिव सुनील हावड़िया ने बताया कि कृषि आदान विक्रेता संघ मप्र भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह राजपूत के नेतृत्व में संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल 17 अप्रैल को भोपाल में संचालक कृषि उमाशंकर भार्गव कृषि, सचिव निशांत वरवडे से भोपाल में मिला तथा ई टोकन प्रणाली से आ रही समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया. संचालक कृषि एवं कृषि सचिव ने तत्काल ही आश्वासन दिया कि सभी उपसंचालक कृषि को निर्देश देंगे कि अगले चार दिनों में पूरे प्रदेश में इस प्रणाली के नाम पर जितने भी लायसेंस निलबिंत हैं या निरस्त किए गए है वह तत्काल बहाल किए जाएंगे. अत: आप से निवेदन है कि जिले में जिन व्यापारियों के लायसेंस निलबिंत व निरस्त किए हैं उन्हें बहाल कर सहयोग प्रदान करें.

आज होगी ग्राम सभाएं, जनगणना के प्रति जागरूकता के निर्देश जारी

सोयतकलां, 23 अप्रैल. जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल आज शुक्रवार को ग्राम सभाएं आयोजित होंगी. कलेक्टर ने आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में जनगणना 2027 के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जारी किए है.भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 से 30 मई तक संपादित किया जाएगा.

ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव के कारण डेटा की गोपनीयता एवं सरकारी योजनाओं पर प्रभाव को लेकर नागरिकों में व्याप्त भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से कलेक्टर के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर आरपी वर्मा द्वारा सभी तहसीलदार, चार्ज जनगणना अधिकारी एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम सभाओं में जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी अनिवार्य रूप से दें. ग्राम सभाओं में बताया जाएगा कि जनगणना राष्ट्र के विकास एवं भविष्य की योजनाओं का आधार है. जनगणना 2027 केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश और राज्य के समग्र विकास की सशक्त नींव है. यह कार्य दो चरणों में संपन्न होगा, जिसमें प्रथम चरण 01 से 30 मई तक तथा द्वितीय चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा.

इस बार जनगणना प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिसमें नागरिकों को स्व गणना का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है. स्व गणना की अवधि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है. निर्धारित समयावधि में प्रगणक घर घर जाकर मोबाइल एप के माध्यम से मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं एवं परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी संकलित करेंगे. जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियमावली, 1990 के अंतर्गत संकलित समस्त व्यक्तिगत जानकारी पूर्णत: गोपनीय रखी जाती है तथा इसका उपयोग किसी भी जांच, कर या अन्य प्रयोजनों में नहीं किया जाता है, साथ ही जनगणना में दी गई जानकारी का राशन, पेंशन अथवा अन्य शासकीय योजनाओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसके अतिरिक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 संशोधित 2023 के तहत अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की अपील भी की गई है. जिले के समस्त नागरिकों से आह्वान किया गया है कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सक्रिय सहभागिता करें तथा 01 से 30 मई के मध्य घर घर आने वाले प्रगणकों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं. साथ ही ग्रामों में मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि कोई भी परिवार जनगणना से वंचित न रह जाए.

पृथ्वी दिवस पर जल मंदिर का शुभारंभ

शाजापुर, 23 अप्रैल. मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों के अंतर्गत संभाग समन्वयक एवं घुमंतू परियोजना के नोडल अधिकारी अमिताभ श्रीवास्तव के एक दिवसीय प्रवास के दौरान शाजापुर जिले में विभिन्न कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया. इस दौरान उन्होंने नवांकुर संस्था, प्रस्फुटन समिति, परामर्शदाता, छात्र, घुमंतू सर्वेयर एवं इंटर्नशिप से जुड़े सदस्यों के साथ संवाद कर उनके कार्यों की समीक्षा की. कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन एवं माल्यार्पण के साथ हुई.

दल ने शालाओं का अवलोकन किया

शाजापुर, 23 अप्रैल. जनपद शिक्षा केन्द्र शाजापुर से बीएसी प्रमोद गुप्ता एवं सुनील विश्वकर्मा द्वारा गुरूवार को संयुक्त रूप से जनशिक्षा केन्द्र टुकराना के अंतर्गत शालाओं का अकादमिक अवलोकन किया गया.

जिसमें एकीकृत शामावि बरवाल, शाप्रा वि मझानिया, शामावि मझानिया, एकीकृत शामावि पिपलोदा, शा प्रावि पिपलोदा एवं एकीकृत शामावि तुहेड़िया की शालाओं का अवलोकन करते हुए जहां बच्चों की संख्या बहुत कम थी, वहां बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं बच्चों को इस समय रोचक शैक्षिक शारीरिक गतिविधियों को करवाने के लिए संबंधित शिक्षकों को प्रेरित किया गया. जिन शालाओं को जादुई पिटारा बाक्स दिए गए उन्हें बाक्स में दी गई रोचक सामग्री के माध्यम से बच्चों को गतिविधियों को करवाने के लिए बोला गया. साथ ही अन्य अकादमिक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नि:शुल्क पाठ्य.पुस्तक एवं एफ़एलएन अभ्यास पुस्तिका जो अभी शालाओं को प्राप्त हो चुकी है उन्हें एजुकेशन पोर्टल पर बच्चों को आनलाइन भी वितरित करने के लिए निर्देशित किया गया. सभी को इस सत्र की प्राप्त पुस्तक एवं अन्य सामग्रियों की पंजी भी रिकॉर्ड में संधारित करने के लिए बोला गया. नामांकन में अधिक वृद्धि करने के लिए नियमित रूप से पालकों से संपर्क करने का भी बोला गया.

पोषण पखवाड़ा समापन पर पोषण मेले का आयोजन

महिलाओं व किशोरियों को किया जागरूक

शुजालपुर, 23 अप्रैल. आठवें पोषण पखवाड़ा के समापन अवसर पर वार्ड 8/3 स्थित नसीम बानो के आंगनवाड़ी केंद्र शहरी 1 सेक्टर में पोषण मेले का आयोजन किया गया. कार्यक्रम कलेक्टर ऋजु बाफ ना के आदेशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी व सहायक संचालक नीलम चौहान के निर्देश पर आयोजित हुआ.

प्रभारी परियोजना अधिकारी ममता परमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में पोषण संबंधी विभिन्न गतिविधियां कराई गईं, थीम के अनुरूप पोषण सामग्री से पोषण गुड़िया का निर्माण किया गया और महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को विभिन्न खाद्य पदार्थों से मिलने वाले पोषक तत्वों एवं उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र से दी जाने वाली स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

उपस्थित महिलाओं एवं किशोरियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने, संतुलित आहार अपनाने और स्वच्छ जीवनशैली का पालन करने की शपथ दिलाई गई. कार्यक्रम में पर्यवेक्षक मंजू दांगी, परियोजना समन्वयक मनीषा दवे, ममता पुरविया, कार्यकर्ता सहायिका डाली सहित अन्य हितग्राही उपस्थित रहे.

एक नजर में

एक व्यवसायी के यहां दूध का नमूना हुआ फेल तो दूसरे व्यापारी को बगैर लायसेंस के दुकान चलाते पाया

दो खाद्य कारोबारियों पर डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

सोयतकलां, 23 अप्रैल. दो खाद्य कारोबारियों पर डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.एक व्यवसायी के यहां दूध का नमूना फेल होना पाया गया तो दूसरे व्यापारी को बगैर लायसेंस के दुकान चलाते पाया गया. मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन न्याय निर्णयन अधिकारी आरपी वर्मा के न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के इन दो अलग अलग प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए खाद्य कारोबारियों पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया है.

पहले प्रकरण में भैंस के अवमानक दूध के संग्रहण एवं विक्रय का कारोबार संचालित करने पर श्री कृष्णा दूध डेयरी नलखेड़ा के संचालक योगेश धाकड़ को दोषी पाया गया. यह कार्रवाई 26 नवंबर 2024 को चलित लैब द्वारा की गई प्राथमिक जांच में नमूना फेल होने के बाद की गई, तत्पश्चात लीगल सैंपल को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया, जहां पुष्टि होने पर मार्च 2025 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. न्यायालय ने मामले में दोष सिद्ध होने पर 1 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया.

बिना लायसेंस के दुकान चलाना पड़ा मंहगा...

वहीं दूसरे प्रकरण में समीर किराना स्टोर्स, आगर के निरीक्षण के दौरान संचालक आरिफ खान को बिना खाद्य लाइसेंस, पंजीयन के किराना दुकान संचालित करते हुए खाद्य सामग्री का अवैध संग्रहण एवं विक्रय करते पाया गया,इस पर प्रकरण दर्ज किया गया . न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में दोषी पाते हुए संबंधित पर 1 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया . इस प्रकरण में कार्रवाई तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार द्वारा की गई थी .

15 दिन में जमा करना होगी राशि...

न्यायालय के आदेशानुसार उक्त प्रकरणों में जुर्माना राशि 15 दिवस के भीतर जमा करनी होगी . निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा भू-राजस्व संहिता की धारा 96 के तहत वसूली एवं कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही राशि जमा होने तक संबंधित की खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन निलंबित रहेगा .

रक्तदान शिविर आयोजित

शुजालपुर, 23 अप्रैल. सिविल अस्पताल शुजालपुर एवं रेडक्रॉस यूनिट के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का मार्गदर्शन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ.शारदा रामसरिया ने किया. शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कुल 26 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया. ब्लड स्टोरेज प्रभारी डॉ.अमित कुमार एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामसलोने मिश्रा, डॉ.संजय मण्डलोई सहित मेडिकल टीम ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया. वहीं डॉ. भूपेन्द्र परमार ने स्वयं रक्तदान कर अस्पताल स्टाफ को भी प्रेरित किया. शिविर के सफ ल आयोजन में चिकित्सा अधिकारी डा.रानु गुप्ता, संजय देव, निहाल व्यास एवं राजेन्द्र सोलंकी का विशेष सहयोग रहा.